कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–प्रथम

क्रमांक : स्था/09/2023/ 4836 दिनांकः– 2 दिसम्बर, 2023

–: आ–दे–श :–

जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर–प्रथम में पदस्थापित आशुलिपिक ग्रेड–I श्री विक्रम सिंह जिनकी इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 4832 दिनांक 01.12.2023 के द्वारा **वरिष्ठ मुंसरिम** के पद पर पदोन्नति की गयी है, का पदस्थापन न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, पोक्सो एक्ट प्रकरण क्रम–1, जयपुर महानगर–प्रथम में किया जाकर उक्त श्री विक्रम सिंह को आगामी आदेश तक उक्त न्यायालय से जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर–प्रथम में कार्य–निष्पादन हेतु तुरन्त प्रभाव से लगाया जाता है।

नोटः–

a) उक्त कर्मचारी का वेतन उनके पदस्थापन न्यायालय द्वारा आहरित किया जावेगा। उक्त कर्मचारी अपनी उपस्थिति कार्य–निष्पादन वाले न्यायालय में अंकित करेंगे तथा इनका आकस्मिक अवकाश भी कार्य–निष्पादन वाले न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया जावेगा। इनकी उपस्थिति बाबत् सूचना नियमानुसार पदस्थापन न्यायालय को भिजवाई जावे।

b) उक्त कर्मचारी को अपना समस्त चार्ज/मालखाना/फाईलों आदि का लेन–देन करा कर (यदि कोई हो) नवीन पदस्थापन न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु **अविलम्ब** आवश्यक रूप से कार्यमुक्त किया जावे।

Sd/-

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जयपुर महानगर–प्रथम

क्रमांक : स्था/09/2023/ 4836 दिनांकः– 2 दिसम्बर, 2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01 प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा), जिला न्यायालय, जयपुर महानगर–प्रथम
02 संबंधित न्यायालय/कर्मचारी ...., जयपुर महानगर–प्रथम
03 सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु
04 निजी पत्रावली संबंधित कर्मचारी ....
05 आदेश पत्रावली / संबंधित पत्रावली /रक्षित पत्रावली

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जयपुर महानगर–प्रथम

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम

क्रमांक : स्था0 / 2023 / 4832 दिनांक : 01 / 12 / 2023

:: आ–दे–श ::

श्री विक्रम सिंह, आशुलिपिक ग्रेड–प्रथम, जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम, जो राजस्थान जिला न्यायालय, मंत्रालयिक संस्थापन नियम, 1986 (यथा संशोधित) के तहत वरिष्ठ मुंसरिम के पद के लिए विहित अर्हता रखते हैं, को उक्त नियमों में दिये गये प्रावधानों के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा के आधार पर तुरन्त प्रभाव से अस्थायी रूप से वरिष्ठ मुंसरिम के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के तहत पे लेवल एल–14 (पूर्व वेतनमान में ग्रेड पे–5400 / –) के अंतर्गत नियमानुसार देय वेतन–भत्तों पर उनसे वरीयता में कनिष्ठ कर्मचारी की पदोन्नति की दिनांक 06.12.2019 से अस्थाई रूप से एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है। श्री विक्रम सिंह का वेतन निर्धारण उक्त दिनांक से किया जावे, उक्त पदोन्नत पद का वास्तविक लाभ उनके द्वारा कार्यग्रहण किये जाने की दिनांक से देय होगा।

नोट :–

1. श्री सिंह का पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किया जायेगा।
2. यदि कर्मचारी का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उन्हें बिना किसी नोटिस के मूल पद पर प्रत्यावर्तित (Revert) कर दिया जावेगा।
3. श्री सिंह की उक्त पदोन्नति वरिष्ठ मुंसरिम के पद पर पदोन्नति के विरूद्ध लंबित रिट याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।
4. उक्त आदेश का इन्द्राज कर्मचारी की सेवापुस्तिका में किया जावे।

Sd/-
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर प्रथम

क्रमांक : स्था0 / 2023 / 4832 दिनांक : 01 / 12 / 2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम
2. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर
3. श्री विक्रम सिंह, आशुलिपिक ग्रेड–प्रथम, जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम
4. सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. आदेश पत्रावली / संबंधित पत्रावली / रक्षित पत्रावली

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर प्रथम